संख्या. 2/5/2015-बीएम/630-645

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (बीएम)

दूसरा तल, ब्लॉक-III
सीजीओ कॉम्पलेक्स
नई दिल्ली
13 अप्रैल 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नदी जोड़ के लिए कार्यबल का गठन (जो विशेषज्ञों वाली समिति के गठन की आवश्यकता को भी पूरा करेगी)।

24.07.2014 को आयोजित केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक ''कार्यबल'' का गठन किया है जो नदी जोड़ (आईएलआर) से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए ''विशेषज्ञों वाली समिति'' के गठन की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। कार्यबल के सदस्य इस प्रकार होंगें:

क्रं.सं.	नाम श्री / श्रीमती	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री बी.एन. नवालावाला, मुख्य परामर्शदाता, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	अध्यक्ष*
2.	श्री प्रोदीप्तो घोष, पूर्व सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य*
3.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
4.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्युसी)	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य
6.	श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य*
7.	श्री ए. डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य*
8.	श्री एम गोपाल कृष्णन, पूर्व सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य*
9.	श्री विराग गुप्ता, सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	सदस्य*
10.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य सचिव

*** व्यक्तिगत तौर पर गैर सरकारी पदाधिकारी**

2. संदर्भ की शर्तें

नदी जोड़ पर कार्यबल, नदी जोड़ पर विशेष समिति तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को इन पहलुओं पर सहायता करेगा:

I) हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार नदी जोड़ पर कार्य को और तीव्र करने के लिए सभी मुद्दों को संभालना। अंत: राज्यीय, अंत: बेसिन नदियों को जोड़ने के कार्य को सुगम बनाएगें;

(i) शेष संभाव्यता अध्ययनों एवं डीपीआर को पूरा करने की समय अनुसूची।
(ii) नदी जोड़ परियोजना की क्रियान्वयन अनुसूची।
(iii) नदी जोड़ परियोजनाओं के लिए परिवर्तनात्मक निधियन क्रियाविधि।

II) यदि प्रस्ताव राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना के अनुरूप संभाव्य न हो तो वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करना।

III) आर्थिक संभाव्यता, सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय प्रभाव तथा पुन: स्थापना योजना की तैयारी के संबंध में अलग परियोजनाओं के मानदंडो पर मार्गदर्शन देना।

IV) राज्यों के मध्य शीघ्र मतैक्यता के लिए उचित क्रियाविधि का सुझाव देना;

V) परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उचित संगठनात्मक ढ़ांचे का प्रस्ताव;

VI) नदी जोड़ पर विशेष समिति द्वारा गठित उप समिति के कार्य की समीक्षा तथा उनको सौपें गए कार्यों को पूरा करने के लिए सुगम बनाना;

VII) ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोई अन्य पहलू जो आवश्यक समझा जाए।

3. कार्यबल की अवधि 2 वर्ष, या अगले आदेश तक या जो पहले हो, हो सकती है।

4. इस कार्यबल के लिए गैर सरकारी पदाधिकारियों को दिए जाने वाले टी.ए./ डी.ए. तथा बैठकों के शुल्क का मानदंड अलग से जारी किया जाएगा।

(असित चतुर्वेदी)
उपायुक्त (बी.एम.)
☎ 011-24367128

प्रति: सभी सदस्य

प्रति सूचनार्थ:

1) माननीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निजी सचिव।
2) सचिव, (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) / अपर सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के पीपीएस।
3) संयुक्त सचिव (पीपी)/ संयुक्त सचिव (प्रशा.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निजी सचिव।
4) संयुक्त सचिव एवं आर्थिक सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निजी सचिव।
5) महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण।